IOSR Journal of Humanities and Social Science (IOSR-JHSS)
Volume 30, Issue 10, Series 5 (October, 2025) 37-43
e-ISSN: 2279-0837, p-ISSN: 2279-0845.
www.iosrjournals.org

राजभाषा मलयालम के प्रचार- प्रसार की नीति एवं वैधानिक प्रावधान

डॉ0 गोपाल कुमार
हिंदी अधिकारी, विश्वभारती

शोध-सारांश
मलयालम भारतीय संविधान की आठवीं अनुसूची में उल्लेखित राजभाषाओं की सूची में दर्ज़ है। यह मुख्य रूप से केरल राज्य एवं केंदशासित प्रदेश पुडुचेरी की राजभाषा है। यह लक्षद्वीप में भी मुख्य भाषा के रूप में प्रयुक्त होती है। मलयालम के प्रसार हेतु भाषाविद्, लेखक, कवि, पत्रकार, स्वयंसेवी संस्थाओं का भी योगदान रहा है। इसके प्रचार-प्रसार के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं। समय-समय पर राज्य सरकार ने भी आवश्यक निदेश जारी किए हैं। इस शोध-पत्र के माध्यम से मलयालम के प्रचार-प्रसार नीति को प्रस्तुत करने का प्रयास किया गया है। मलयालम राजभाषा के कार्यान्वयन के लिए सरकारी प्रावधान को प्रकाश में लाने का प्रयास किया गया है। यह प्राथमिक स्रोत के अध्ययन पर आधारित एक वर्णनात्मक शोध-पत्र है। इसके लिए चयनित पुस्तकों के अध्ययन के साथ-साथ सरकारी दस्तावेज़ों का अध्ययन किया गया है। इस शोध से पता चलता है कि मलयालम का राजभाषा के रूप में कार्यान्वयन के लिए सरकार गंभीर है एवं इसके लिए समय-समय पर आवश्यक कदम उठाए जाते हैं। मलयालम के व्यापक प्रसार के लिए सरकार के साथ-साथ जनता सहयोग कर रही है। इससे विद्यार्थियों, अध्यापकों एवं शोधकर्ताओं को लाभ मिलेगा।
बीज शब्द : मलयालम, राजभाषा, मलिअमा, केरल भाषा, वैधानिक प्रावधान

Date of Submission: 13-10-2025 Date of Acceptance: 28-10-2025

परिचय:

मलयालम 832 ई0 से पहले बोली जाती थी पर लिखी नहीं जाती थी। इसे 19वीं सदी के आरंभ तक विभिन्न नामों से पुकारा जाता था; यथा- अलेअलम, मलयालानी, मलयाली, मालाबारी, मालियन, मलियाड, मोपला, मलिअले एवं केरल भाषा। 'मलयालम दक्षिण द्रविड़ परिवार की भाषा है।'[1] यह भारतीय संविधान की अष्टम अनुसूची में उल्लेखित राजभाषाओं में से एक है। 'यह केरल राज्य एवं केंद्रशासित प्रदेश पुडुचेरी में राजभाषा के रूप में प्रयुक्त भाषा है।'[2] यह लक्षद्वीप में भी बड़े पैमाने पर प्रयुक्त होती है। "मलयालम की लिपि कोलेलुट्टु (रॉड लिपि)है। यह ग्रंथ लिपि से विकसित हुई है जो ब्राह्मी से विकसित लिपि है।"[3] 'मलयालम सबसे पहले वटेज़ुटु लिपि में लिखी जाती थी।'[4] केरल सरकार के सभी विभागों में मलयालम राजभाषा कार्यान्वयन के प्रति जागरूकता अभियान के तहत 01 नवंबर,2012 से 31 अक्तूबर,2013 तक राजभाषा वर्ष के रूप में मनाया गया। 'मलयालम भाषा को वर्ष 2013 में सांस्कृतिक भाषा का दर्जा दिया गया।'[5] मलयालम, केरल, पुडुचेरी तथा लक्षद्वीप के बाहर कर्नाटक के कोडागु एवं दक्षिण कन्नड़ जिले, तमिलनाडु के कन्याकुमारी में भी बोली जाती है। भारत के मुख्य शहरों जैसे मुंबई, बेंगलुरू, दिल्ली, चेन्नई, अहमदाबाद, हैदराबाद, कोलकाता, पुणे आदि में केरलवासी अच्छी संख्या में हैं। अतः इन क्षेत्रों में मलयाली जानने, समझने व बोलने वाले अच्छी संख्या में हैं। मलयाली प्रवासी द्वारा संयुक्त अरब अमीरात, बहरीन, कनाडा, फ़ीजी, यूनाइटेड किंगडम, इजरायल, मलेशिया, कतर, सिंगापुर, संयुक्त राष्ट्र जैसे विश्व के अनेक देशों में मलयालम बोली जाती है। विशेष रूप से खाड़ी देशों में मलयाली की अच्छी संख्या है।

इतिहास:

वर्तमान केरल की क्षेत्रीय भाषा में प्राचीनतम उपलब्ध पुस्तक 12वीं सदी की है। तब इसे केरल भाषा कहा जाता था। 16वीं सदी में इस भाषा को मलयालम कहा जाने लगा। यह लिपि तथा क्षेत्र के लिए भी प्रयुक्त होती थी।[6] 'मलयालम' शब्द का भाषा के रूप में प्रयोग लगभग 16वीं सदी के आसपास हुआ। पहले मलयालम, मलयानम कहलाता था। केरलवासी इससे पहले अपनी भाषा को 'तमिल' कहते थे। औपनिवेशिक काल में दोनों शब्द व्यापक थे। 'मलयालम' शब्द गढ़े जाने से पहले, इसकी पहचान बहुत मुश्किल थी। 16वीं सदी में दुआर्ते बारबोसा नामक पुर्तगीज केरल आया था। उनके अनुसार, भारत के दक्षिण पश्चिम मालाबार तट, उत्तर में कुम्बला से दक्षिण में कन्याकुमारी तक एक विशेष प्रकार की भाषा बोली जाती थी जिन्हें वे लोग 'मलिअमा' कहते थे।

प्राचीन मलयालम

प्राचीन मलयालम का विकास सातवीं-आठवीं सदी की समकालीन पश्चिमी तटीय बोली तमिल (करीनतमिल) से आरंभ हुआ। केरल में 9वीं सदी से तेरहवीं सदी के बीच पायी गई उत्कीर्णित भाषा को प्राचीन मलयालम माना जाता है। इस भाषा का प्रयोग अनेक सरकारी अभिलेख तथा लेनदेन में हुआ था। नंबूदरी ब्राह्मण के अधीन केरल में जाति-व्यवस्था मजबूत हुई। संस्कृत और प्राकृत मालाबार तट पर प्रमुख भाषाएं बन गई। इसके अत्यधिक प्रभाव के कारण तमिल की पश्चिमी तटीय बोली पृथक होकर स्वतंत्र भाषा के रूप में विकसित हुई। चेरपेरूमल राजाओं के काल में तथा उच्च जाति (नंबूदरी) बाहुल्य ग्रामीण मंदिरों में शासकीय अभिलेख तथा लेनदेन के लिए प्राचीन मलयालम को अपनाया गया। प्राचीन मलयालम में अनेक शिलालेख केरल के उत्तरी जिले में पाए गए थे। वे जिले तुलुनाडु से सटे हुए हैं। तुलुनाडु या तुलुनाद भारत के दक्षिण पश्चिमी तट पर स्थित क्षेत्र है। यहां के निवासी तुलु नामक द्रविड़ भाषा बोलते हैं।

मानक बोली

मलयालम में मानक बोली का तात्पर्य उस बोली से है जो उच्च शिक्षित वर्ग प्रयोग करते हैं। भाषाई दृष्टि से इसके परिनिष्ठित नियम हैं। इसमें प्राय: भिन्नता नहीं पाई जाती। मलयालम भाषा के प्रकाशन में प्राय: मलयालम के मानक रूप का प्रयोग होता है। समय-समय पर लेखन में मलयालम की बोलचाल की भाषा का प्रयोग भी किया गया है। मलयालम के अमान्य बोली को ऐतिहासिक, क्षेत्रीय, सामाजिक तथा जीवविज्ञानी आधार - 4 वर्गों में बांटा जा सकता है। केरल विश्वविद्यालय के सर्वे के अनुसार मुख्य 12 बोलियों की पहचान की गई। वे हैं: दक्षिण त्रावणकोर, मध्य त्रावणकोर, पश्चिम वेम्पनाड, उत्तर त्रावणकोर, कोचीन, दक्षिण मालाबार, दक्षिण-पश्चिमी पालघाट, उत्तर-पश्चिमी पालघाट, मध्य मालाबार, वायनाड, उत्तरी मालाबार तथा कैसरगॉड। क्षेत्र, धर्म, समुदाय, व्यवसाय, सामाजिक स्तर, शैली और रजिस्टर के मापदंडों के साथ स्वर पैटर्न, शब्दावली, व्याकरणिक और ध्वन्यात्मक तत्वों के उतार-चढ़ाव में भिन्नताएं देखी जा सकती हैं। द्रविड़ विश्वकोश के अनुसार, मलयालम की क्षेत्रीय बोलियों को पंद्रह बोली क्षेत्रों में विभाजित किया जा सकता है। वे इस प्रकार हैं: कैसरगोड, उत्तरी मालाबार, वायनाड, कोझिकोड, एरनाड, वल्लुवनाद (दक्षिण मालाबार), पलक्कड़, त्रिशूर-कोच्चि, उत्तर त्रावणकोर, पश्चिम वेम्बनाड, सेंट्रल त्रावणकोर, दक्षिण त्रावणकोर, लक्षद्वीप, बेरी, रावुला।

मलयालम प्रसार में पत्रकारिता की भूमिका[7]

मलयालम में पत्रकारिता का आरंभ अठारहवीं शताब्दी के अंत में हुआ। मलयालम के प्रसार में पत्रकारिता महत्वपूर्ण भूमिका निभाती आ रही है। मलयालम में साप्ताहिक, पाक्षिक, मासिक, द्वैमासिक, त्रैमासिक, चतुर्मासिक, अर्द्धवार्षिक, दैनिक आदि लंबे समय से प्रकाशित होते आ रहे हैं। इनमें धार्मिक, जातीय, विज्ञान संबंधी, शिक्षा संबंधी, राष्ट्रीय एवं साहित्यिक विषय शामिल हैं। मलयालम भाषा का प्रथम मासिक पत्र 'राज्य समाचार' धर्म प्रचारार्थ 1847 में प्रकाशित हुआ। अक्तूबर 1847 से अगस्त 1851 तक प्रकाशित 'पश्चिमोदय' पत्रिका में ज्योतिष, भूगोल, केरल का प्राचीन इतिहास, यात्रा विवरण आदि विषयों पर लगातार विवरणात्मक लेख आते रहे। इसमें मलयालम भाषा की लिपि एवं रूप का प्रयोग दिखाई देता है। 'ज्ञाननिक्षेपम' का प्रकाशन नवंबर 1849 में आरंभ हुआ। इसमें देश-विदेश की खबरों के साथ-साथ विभिन्न देशों के जीवन के तौर-तरीके, पक्षी, जानवरों और मछलियों का परिचय दिया जाता था। चिकित्सा, गृहशास्त्र के प्रतिपादन के अलावा इसमें निबंध, कहानी आदि नवीन साहित्यिक विधाएँ आने लगी। अत: इसे प्रथम साहित्यिक पत्रिका कहा जा सकता है। साहित्य की नवीन विधाओं को प्रश्रय देने में यह पत्रिका स्मरणीय है। कोट्टयम सी.एम.एस. कॉलेज की ओर से सन् 1864 से 1866 तक 'विद्यासंग्रह' नामक पत्रिका का प्रकाशन हुआ। इसका लक्ष्य सामान्य शिक्षा एवं विज्ञान का प्रसारण था। इसी में मलयालम का प्रथम उपन्यास छपा था। यह अंग्रेज़ी उपन्यास The Slayers Slain का अनुवाद था।

आधुनिक मलयालम भाषा शैली को रूपयित करने में इस पत्रिका का उल्लेखनीय योगदान है। 'नस्राणी दीपिका' पाक्षिक पत्रिका का प्रकाशन सन् 1897 में आरंभ हुआ। यह सन् 1827 से दैनिक पत्र बन गया। यह कोट्टयम में 'दीपिका' के रूप में प्रसिद्ध है। यह भाषा, प्रगति, काव्यादि साहित्यिक विधाओं की उन्नति तथा सामाजिक उन्नयन के लिए अब तक काम कर रहा है। 'मलयालम मनोरमा' तथा 'भाषापोषिणी' पत्रिकाएं मलयालम साहित्य के विकास के लिए प्रयत्नरत रही। कोट्टयम के कवि समाज एवं भाषापोषिणी सभा एवं पत्रिकाओं का मालाबार, कोची एवं तिरुवितांकूर प्रदेशों में बोली जाने वाली मलयालम भाषा की एकरूपता लाने में एवं भाषा प्रयोगों की त्रुटियों को दूर करने में महत्वपूर्ण योगदान था। बीसवीं सदी के उत्तरार्द्ध की मलयालम की पत्रिकाएँ, विशेष रूप से दैनिक, सार्वजनिक विकास को लक्ष्य करके चलती हैं। दैनिकों से अलग पत्रिकाएँ अपने-अपने लक्ष्यों पर ज़ोर देते हैं। दैनिक पत्रों के साप्ताहिक विभिन्न लक्ष्यों पर आधारित हैं। तिरुवनंतपुरम से प्रकाशित दैनिक 'केरल कौमुदी' और साप्ताहिक 'कलाकौमुदी' आधुनिक गतिविधियों का परिचय देने में सहायक है। 'कलाकौमुदी' में मुख्य रूप से साहित्यिक आलोचना प्रकाशित होती है। अनेक विश्वविद्यालयों के विभागों की ओर से कई अकादमिक पत्रिकाएँ निकल रही हैं जो तुलनात्मक साहित्य, अनुसंधान आदि पर बल दे रहे हैं।

वैधानिक व्यवस्था

केरल राजभाषा (विधान) अधिनियम[8], 1969 के अधिनियम 7 के अनुसार केरल राज्य की राजभाषा मलयालम एवं अंग्रेजी घोषित की गई। इसके अनुसार

(i) केरल विधानसभा में विधेयक, संशोधन आदि

(ii) अधिनियम की भाषा

(iii) संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा जारी किए गए अध्यादेश

(iv) संविधान के अधीन या संसद द्वारा बनाए गए किसी कानून या केरल राज्य के विधानमंडल द्वारा जारी किए गए आदेश, नियम, विनियम एवं कानून

मलयालम या अंग्रेजी में प्रकाशित किए जाएंगे।

1973 के अधिनियम 15 के अंतर्गत केरल राजभाषा (विधान) संशोधन अधिनियम[9] 1973 (1) पारित हुआ। इसके अंतर्गत कुछ नई धाराएं पारित की गई जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं:

(क) संविधान के अनुच्छेद 346 और 347 के प्रावधानों के पूर्वाग्रह के बिना, मलयालम और अंग्रेजी राज्य के सभी या किसी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए प्रयुक्त भाषा होगी।

(ख) सरकार समय-समय पर अधिसूचना जारी करके किसी आधिकारिक उद्देश्यों के लिए मलयालम या अंग्रेजी के प्रयोग के लिए निर्देश दे सकती है ।

(ग) 14 दिन की अवधि के दौरान, जिसमें 1 या 2 सत्र हों, 1(बी) के तहत जारी की गई सभी अधिसूचना, यथासंभव जल्दी ही विधानसभा के समक्ष रखी जाएगी। यदि विधानसभा अधिसूचना में कोई संशोधन करती है तो संशोधित अधिसूचना प्रभावी होगी।

13वीं केरल विधानसभा विधेयक[10] संख्या 376 के तहत मलयालम भाषा (प्रसार एवं संवर्धन) विधेयक, 2015 पारित हुआ। विधेयक के अनुसार -

(क) मलयालम को भारतीय संविधान के प्रावधानों के अधीन केरल राज्य में सभी कार्यालय इन उद्देश्यों एवं सभी क्षेत्रों के लिए राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया। साथ ही मलयालम भाषा की संवृद्धि एवं सुरक्षा तथा इससे संबंधित अन्य बातों को सुनिश्चित करने का विधान हुआ।

(ख) इस अधिनियम को मलयालम भाषा (प्रसार एवं संवर्धन) अधिनियम, 2015 कहा गया।

(ग) यह तत्काल प्रभाव से लागू हुआ।

(घ) इस अधिनियम के लागू होते ही केरल राज्य में अधिनियम के प्रावधानों के प्रभाव एवं कुशलतापूर्वक कार्यान्वयन हेतु गजट में अधिसूचना प्रकाशित करके 'मलयालम भाषा विकास विभाग' का गठन किया जाएगा।

राजभाषा का प्रयोग

विधायी क्षेत्र - 1. मलयालम भाषा का प्रयोग इन कार्यों के लिए होगा :

(क) केरल विधानसभा द्वारा पेश किए जाने वाले विधेयक तथा सभी पारित किए गए अधिनियम;

(ख) भारतीय संविधान के अनुच्छेद 213 के अंतर्गत केरल के राज्यपाल के द्वारा पारित किए गए सभी अध्यादेश;

(ग) भारतीय संविधान के अधीन भारत सरकार या संसद द्वारा बनाए गए किसी विधि के अधीन या केरल विधानसभा द्वारा पारित सभी आदेश, नियम, विनियम या उपविधि। इसका अंग्रेजी अनुवाद भी प्रकाशित किया जाएगा।

2. महत्वपूर्ण केंद्रीय अधिनियम तथा राज्य अधिनियम संशोधन के साथ मलयालम में प्रकाशित किया जाएगा।

3. विभिन्न विधियों के अंतर्गत बनाए गए एवं अंग्रेजी में प्रकाशित किए गए सभी नियम मलयालम में भी प्रकाशित किए जाएंगे।

4. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 346 तथा 347 के अधीन, राज्य में सभी कार्यालयीन कार्यों में मलयालम का प्रयोग होगा। सरकार के अधीन सभी वर्तमान विभागों एवं भविष्य में गठन किए जाने वाले विभागों तथा अर्ध सरकारी संस्थानों, सरकार के अधीन लोक उपक्रमों, स्वायत्त निकायों या सहकारी समितियों पर लागू होगा।

5. ऐसे छात्र जिनकी मातृभाषा मलयालम नहीं है उन्हें अपनी मातृभाषा के साथ-साथ मलयालम सीखने का अवसर प्रदान किया जाएगा । केरल से बाहर के एवं विदेशी छात्रों को कक्षा 9, 10 तथा उच्च माध्यमिक स्तर पर मलयालम भाषा की परीक्षा से छूट दी जाएगी।

6. विज्ञान एवं तकनीकी विकास की दृष्टि से निर्धारित एक समान वर्णमाला व्यवस्था को अपनाया जाएगा।

नियुक्ति क्षेत्र

1. विद्यमान शर्तों के साथ जिन्होंने दसवीं कक्षा तक या 12वीं स्तर या स्नातक पाठ्यक्रम में मलयालम का अध्ययन नहीं किया है उन्हें नियुक्ति के पश्चात एक निश्चित समय अवधि में लोक सेवा आयोग द्वारा मलयालम की परीक्षा उत्तीर्ण करना होगा। यह परीक्षा मलयालम मिशन द्वारा आयोजित की जाती है। यह मलयालम भाषा में सीनियर हायर डिप्लोमा के समतुल्य होती है। अंतिम श्रेणी के कार्मिकों के लिए यह लागू नहीं होगा।

2. केरल लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली प्रतियोगिता परीक्षाओं के प्रश्न पत्र मलयालम में होंगे। यदि अर्ध-सरकारी संस्थान, स्वायत्त निकाय, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी समिति; केरल लोक सेवा आयोग के माध्यम से नियुक्ति नहीं करते हैं तो उनके पत्र भी मलयालम में तैयार किए जाएंगे ।

न्यायालय की भाषा

1. उच्च न्यायालय के निदेशानुसार, अधीनस्थ न्यायालयों में मलयालम में फैसले सुनाने के उपाय किए जाएंगे। सरकार इसके लिए उच्च न्यायालय को आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराएगी।

2. छोटे-छोटे मामलों में सभी आदेश मलयालम में होंगे।

'छोटे छोटे मामलों' का अर्थ उन मामलों से है जो दंड प्रक्रिया संहिता 1973 (1974 के केंद्रीय अधिनियम 2) की धारा 376 के दायरे में आएंगे।

3. किसी अन्य अधिनियम में किसी बात के होते हुए भी, सरकार के अधीन सभी अर्ध न्यायिक प्राधिकारियों के आदेश या फैसले मलयालम में होंगे।

भाषा के प्रसार के लिए किए जाने वाले सामान्य उपाय

1. सरकारी उपक्रमों या स्वायत्त निकायों, सहकारी निकायों, सहकारी और सार्वजनिक उपक्रमों के नाम, अधिकारियों और पदों के नाम और ऐसे संस्थानों के नियंत्रण में वाहनों में उपयोग किए जाने वाले बोर्ड भी मलयालम में होंगे।

2. सरकार या स्थानीय सरकारी संस्थानों के अनुमोदन एवं मंजूरी से चलाए जा रहे वाणिज्यिक - औद्योगिक और व्यावसायिक उपक्रम, न्यास, परामर्श केंद्र, अस्पताल, प्रयोगशाला, मनोरंजन केंद्र एवं होटल के बोर्ड का ऊपरी आधा भाग मलयालम में होगा।

3. राज्य के सरकारी और स्थानीय स्वशासी संस्थानों में विभिन्न विभागों की देखरेख में बने बोर्ड पर प्रदर्शित विवरण भी मलयालम में होगा।

4. राज्य सरकार या स्थानीय स्वशासी संस्थानों द्वारा किए गए कार्यों को बोर्ड पर प्रमुखता से मलयालम में प्रदर्शित किया जाएगा।

5. सरकारी परियोजनाओं संबंधित बोर्ड, विज्ञापन, रसीद, बिल, सूचना आदि; या संबद्ध संस्थान या स्थानीय स्वशासी संस्थान के किसी प्रकार की स्वीकृति, मंजूरी, रियायत मलयालम में होंगे।

6. राज्य में निर्मित एवं बेचे जाने वाले सभी औद्योगिक उत्पादों के नाम एवं उनके उपयोग के निर्देश भी मलयालम में होंगे।

7. केरल में प्रकाशन हेतु सरकार द्वारा जारी विज्ञापन एवं अधिसूचनाएं मलयालम में होंगी।

8. सरकार द्वारा संचालित कार्यक्रमों के पर्चे, संसूचन, सूचना आदि भी मलयालम में होंगे।

9. राज्य में आम जनता की जानकारी के लिए प्रकाशित विज्ञापनों और सूचनाओं को प्रदर्शित करने वाले बोर्ड के आकार का एक निश्चित प्रतिशत तथा राज्य के समाचार पत्रों, पत्रिकाओं आदि में प्रकाशित विज्ञापन मलयालम में होंगे। इस प्रयोजन से विज्ञापनों का वर्गीकरण, मलयालम में प्रकाशित किए जाने वाले हिस्सों की संख्या/ प्रतिशत निर्धारित की जाएगी। सिवाय जहां अंग्रेजी का प्रयोग आवश्यक है, विज्ञापन मलयालम में होगा।

सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मलयालम भाषा का प्रयोग

1. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में मलयालम भाषा के प्रभावशाली प्रयोग के लिए ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर और सहायक उपकरण विकसित करेगा।

2. सरकारी, अर्ध सरकारी संस्थानों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों, स्वायत्त निकायों, सहकारी समितियों के विभिन्न विभागों के वेबसाइट पर सूचनाएं मलयालम में उपलब्ध करवाई जाएगी एवं वेबसाइट को अद्यतन किया जाएगा ताकि किसी भी भाषा का चयन करके जानकारी ली जा सके।

3. सरकारी विभागों में क्रियान्वित की जा रही ई-गवर्नेंस परियोजनाओं में मलयालम के प्रयोग हेतु सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी।

4. सूचना प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में भी मलयालम भाषा के प्रभावी प्रसार के लिए सरकार को रचनात्मक सुझाव प्रदान करने वाले व्यक्तियों को प्रोत्साहन राशि प्रदान करने के लिए योजना बनाई जाएगी।

मलयालम भाषा शिक्षण अधिनियम[11] 2017 (2017 का अधिनियम 8)

धारा 3:

1. शैक्षणिक वर्ष 2017- 18 से केरल में सभी विद्यालयों में कक्षा 1 से 10 तक मलयालम भाषा के रूप में पढ़ाई जाएगी। भाषाई अल्पसंख्यक स्कूल समेत उन स्कूलों में जिनमें इस अधिनियम के लागू होने के समय मलयालम भाषा नहीं पढ़ाई जाती है; ऐसे स्कूलों में मलयालम भाषा शिक्षण हेतु एस सी ई आर टी पाठ्य पुस्तक तैयार करेगी।
2. स्कूलों में प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से मलयालम बोलने पर किसी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया जाएगा।
3. केरल के स्कूलों में मलयालम भाषा पर प्रतिबंध या किसी एक मात्र भाषा बोलने संबंधी बोर्ड या सूचना प्रदर्शित नहीं की जाएगी।
4. अन्य राज्यों या विदेशों से आए विद्यार्थियों को उनके कक्षाओं में विद्यमान पाठ्यक्रम के अनुसार मलयालम में पढ़ाए जाने की स्थिति में उन्हें कक्षा 10 में मलयालम भाषा परीक्षा से छूट दी जाएगी। उन्हें एससीईआरटी द्वारा तैयार मलयालम पाठ्यपुस्तक पढ़ाया जाएगा।
5. सीबीएसई तथा सीआईएससीई के अधीन विद्यालयों जिनमें त्रिभाषा पाठ्यक्रम उपलब्ध है, के लिए अनापत्ति प्रमाण पत्र जारी करने हेतु मलयालम भाषा शिक्षा एक शर्त होगी। जिन विद्यालयों में मलयालम की शिक्षा नहीं दी जाएगी, उनके अनापत्ति पत्र रद्द कर दिए जाएंगे। ऐसे विद्यालय जिनमें द्विभाषा पाठ्यक्रम चलाया जाता है और उनमें जो विद्यार्थी मलयालम भाषा के रूप में नहीं पढ़ते हैं, उन्हें मलयालम भाषा सीखने हेतु एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई पाठ्यपुस्तक पढ़ाई जाएगी।
6. केरल शिक्षा अधिनियम, 1958 और उसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के तहत गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों में पहली से दसवीं कक्षा तक मलयालम भाषा पढ़ाना एक शर्त होगा।
7. सरकार भाषाई अल्पसंख्यकों के लिए विद्यालयों तथा ओरिएंटल स्कूलों में नियत तरीके से मलयालम सीखने के लिए आवश्यक सुविधाएं प्रदान करेगी।

धारा 4: अधिनियम और नियमों के प्रावधान के उल्लंघन के लिए जुर्माना

इस अधिनियम की धारा 3 की उप धारा (2) या उप धारा (3) के प्रावधानों का उल्लंघन करने वाले स्कूल के प्रधानाध्यापक पर ₹5000 का जुर्माना लगाया जाएगा।

यदि गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के मामले में धारा 3 की उप धारा (2) या उप धारा (3) के प्रावधानों का तीन बार उल्लंघन होता है, तो ऐसे स्कूलों की मान्यता रद्द की जा सकती है। सीबीएसई तथा सीआईएससीई से संबद्ध स्कूलों के मामले में उन्हें दिए गएअनापत्ति प्रमाण पत्र को सरकार द्वारा रद्द किया जा सकता है।

कार्यान्वयन की स्थिति/ प्रचार - प्रसार हेतु संस्थाएं

1. राज्य के सभी विद्यालयों में मलयालम भाषा सीखने की सुविधा उपलब्ध है।
2. सभी सरकारी एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में मलयालम भाषा की पढ़ाई (कक्षा 1 से 10 तक) अनिवार्य है।
3. भाषाई अल्पसंख्यकों हेतु विशेष विद्यालयों में मलयालम भाषा शिक्षा हेतु एससीईआरटी द्वारा तैयार की गई पुस्तकें पढ़ाई जाती है।
4. केरल लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली परीक्षाओं के प्रश्नपत्र मलयालम में होते हैं।
5. सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम, सहकारी समिति भीनियुक्ति हेतु मलयालम में प्रश्नपत्र तैयार करवाते हैं।
6. केरल भाषा संस्थान विज्ञान एवं तकनीकी, कला, साहित्य, लोक साहित्य एवं सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी पुस्तकें प्रकाशित करती हैं।
7. मंपू - यह ऑनलाइन भाषाई आंदोलन है। यह मलयालम के भूत एवं भविष्य को जोड़ती है।
8. थुंचट एझुथचान मलयालम विश्वविद्यालय : यह मलयालम मातृभाषा एवं अध्ययन को प्रोत्साहित करती है। इसमें स्नातकोत्तर स्तर पर मलयालम साहित्य, विज्ञान, मानविकी, समाज विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी की शिक्षा मलयालम माध्यम से दी जाती है। मलयालम भाषा एवं भाषा शास्त्र, तुलनात्मक साहित्य, मलयालम आलोचना, प्राचीन वस्तुएं, प्राचीन अभिलेख, दक्षिण भारतीय भाषाओं का उद्गम, लिपियों का इतिहास, जनजातीय भाषा अध्ययन, क्षेत्रीय भाषा अध्ययन, काव्यशास्त्र, लघु कथा, उपन्यास, केरल पुनर्जागरण इतिहास का अध्ययन इत्यादि के अनुवाद मलयालम में एवं मलयालम से अनुवाद की सुविधा उपलब्ध है। इसमें पीएच. डी. पाठ्यक्रम भी चलाया जाता है।

मलयालम के क्षेत्र में सम्मान/ पुरस्कार

मलयालम भाषा साहित्य के क्षेत्र में निम्नलिखित पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं:

आसन कविता पुरस्कार, एडासेरी अवार्ड, एझुथाचन अवार्ड, ज्ञानपीठ पुरस्कार, केंद्र साहित्य अकादमी पुरस्कार, केरल साहित्य अकादमी पुरस्कार, मातृभूमि साहित्यिक पुरस्कार, मट्टथू वर्की अवार्ड, ओडक्कुझाल पुरस्कार, ओ.वी. विजयन साहित्यिक पुरस्कार, पद्मप्रभा साहित्यिक पुरस्कार, पद्मार्जन पुरस्कार, सुकुमार अझिकोड मेमोरियल तत्वामसी अवार्ड, वल्लाथोल पुरस्कार, वायलार पुरस्कार, अय्यप्पम पुरस्कार, अज़िकोड पुरस्कार, बालामणि अम्मा पुरस्कार, बशीर पुरस्कार, कदमनिट्टा रामकृष्ण पुरस्कार, कमला सूर्य्या अवार्ड, ललिताम्बिका अंथराजनम स्मारक साहित्य पुरस्कार, नूरन्द हनीफ अवार्ड, ओएनवी साहित्यिक पुरस्कार, पी.कुंहीरामन नायर पुरस्कार, थानिमा पुरस्कारम, थोप्पिलभाषी पुरस्कार।

निष्कर्ष :

सरकार की मलयालम राजभाषा नीति स्पष्ट है। इसमें शिक्षण एवं प्रचार-प्रसार की पर्याप्त व्यवस्था है। राजभाषा नीति का उल्लंघन करने वालों के लिए दंड का भी विधान है। केरल की प्राय: जनता मलयालम जानती है और मलयालम में उत्साहपूर्वक कामकाज करते हैं। अतः मलयालम के कार्यान्वयन में कोई चुनौती नहीं कही जा सकती है। केरल शिक्षित राज्य के रूप में चर्चित रही है। अतः शिक्षा के क्षेत्र में मलयालम की अच्छी संभावनाएं हैं। केरल से छपनेवाली पत्रिकाएं काफी सूचनापरक होती है। ध्यातव्य है कि मलयालम भाषा में अन्य भारतीय भाषाओं की अपेक्षा सर्वाधिक पत्रिकाएँ छपती है। अत: मीडिया, मनोरंजन एवं तकनीकी क्षेत्र में मलयालम में अपार संभावनाएं हैं। मलयालम राजभाषा के कार्यान्वयन को बढावा देने के लिए सरकार द्वारा पर्याप्त व्यवस्था की गई है। उल्लेखनीय कार्य हेतु विभिन्न पुरस्कार दिए जाते हैं। अत: मलयालम का प्रसार आशानुकूल हो रहा है।

---

[1] काल्डवेल,रॉबर्ट, *ए कम्पैरेटिव ग्रामर ऑफ द द्रैविडियन ऑर साउथ इंडियन फैमिली ऑफ लैंवेजेज*, मद्रास विश्वविद्यालय,2000,पृ.17

2 मलयालम लैंग्वेज, ब्रिटैनिका.कॉम (14.06.2022);पुडुचेरी ऑफिसियल लैंग्वेज एक्ट, 1965; द मलयालम लैंग्वेज (डिसेमिनेशन एंड एनरिचमेंट बिल, 2015)

3 वही

4 कृष्णामूर्ति, भद्रीराजू,*द द्राविडियन लंग्वेजेज*, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, 2003, पृ. 85

5 द इंडियन एक्सप्रेस, नई दिल्ली, 24 मई,2013; द हिंदू, तिरुअनंतपुरम

6 पॉलॉक, शेल्डन, *लिटरेरी कल्चर्स इन हिस्ट्री: रिकंस्ट्रक्शंस फ्रॉम साउथ एशिया*, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफॉर्निया प्रेस, पृष्ठ 441-442

7 बनजा, के., *मलयालम भाषा, साहित्य और संस्कार,* राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, 2014, पृ. 126-133

8 The Kerala Official Language (Legislation) Act, 1969; Act 7 of 1969

9 The Kerala Official Language (Legislation) Amendment Act, 1973[1]

10 The Malayalam Language (Dissemination and Enrichment) Bill, 2015

11 Malayalam Language Learning Act, 2017